निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 02/2024
दायरा दिनांकः–06.02.2024
निर्णय दिनांकः– 13.7.24

उनवान

चतुर्भुज आयु 65 वर्ष पुत्र श्री शंकरलाल जाति चमार निवासी ग्राम गुगोर तहसील छबडा जिला बारा।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 13.7.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थी एवं भगवती प्रसाद जाटव की संयुक्त खातेदारी में भूमि खसरा नम्बर 347/3 रकबा 1.1382 है0 एवं खाता संख्या 59 में खसरा नम्बर 439/1 रकबा 1.7705 है0 वाके माल गुगोर तहसील छबडा में स्थित है जिसकी अंतिम चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2075–79 प्रार्थी का नाम उक्त जमाबन्दी एवं राजस्व रिकार्ड में चतरा पुत्र शंकर जाति चमार दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम चतुर्भज पुत्र शंकर जाति चमार निवासी गुगोर तहसील छबडा दर्ज होना चाहिए। प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात जैसे बैंक पास बुक पेन्सन पास बुक आधार कार्ड जन आधार कार्ड एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि में चतुर्भज पुत्र शंकरलाल जाति चमार निवासी ग्राम गुगोर दर्ज चला आ रहा है इस कारण राजस्व रिकार्ड में भी चतरा के स्थान पर चजुर्भज दर्ज होना न्यायोचित है। प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में नाम चतरा होने से प्रार्थी किसान सम्मान निधि फसल मुआवजा राशि आदि लाभ प्राप्त करने से वंचित है क्योकि जमाबन्दी में चतरा व अन्य दस्तावेजात में चतुर्भज नाम अंकित होने से प्रार्थी के दस्तावे ऑनलाईन कम्प्युटर राइज नही होने से लाभ प्राप्त नही कर पाने से प्रार्थी को कई प्रकार से केन्द्र सरकार व राज्य सकरार की योजनाओं का लाभ नही मिलने से वंचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना ... रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने ... के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गुगौर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 58 नकल जमाबन्दी ग्राम गुगौर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 58 नकल जमाबन्दी ग्राम गुगौर सम्वत् 2075... खाता संख्या पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड प... र वार्षिक सत्यापन ... रिवार राशन कार्ड बैक पास बुक की फोटो प्रति पेश की गई।

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गुगौर तहसील छबडा में स्थित है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में चतरा पुत्र शंकर दर्ज है। जबकि प्रार्थी का वास्तवित नाम चतुर्भुज पुत्र शंकर है प्रार्थी का अन्य दस्तावेजो में चतुर्भज पुत्र शंकरलाल दर्ज है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत होने से प्रार्थी को किसान सम्मान निधि फसल मुआवजा आदि लाभ लेने से वंचित रहना पडता है प्रार्थी अपना नाम अन्य दस्तावेजो के आधार पर राजस्व रिकार्ड में भी चतरा के स्थान पर चतुर्भुज दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गुगौर सम्वत 2075–78 खाता संख्या 58, 59 में चतरा पुत्र शंकर दर्ज है प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, वगै0 में चतुर्भुज पुत्र शंकरलाल दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का सही नाम चतुर्भुज पुत्र शंकरलाल है प्रार्थी के नाम की जॉच रिपोर्ट तहसीलदार छबडा से मंगवाई गई। तहसीलदार छबडा ने जॉच रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी चतुर्भुज पुत्र शंकरलाल जाति चमार के सम्बन्ध में जानकारी ली गई तो पाया गया कि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम चतुर्भुज पुत्र शंकरलाल ही दर्ज है प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में चतरा पुत्र शंकर दर्ज है प्रार्थी का नाम चतरा पुत्र शंकर के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र शंकरलाल दर्ज करने की अनुशंषा तहसीलदार छबडा ने की है। तहसीलदार छबडा की अनुशंषा एवं अन्य दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम गुगौरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 347/3 रकबा 1.13822 है0 एवं खसरा नम्बर 439/11 रकबा 1.7705 है0 में दर्ज प्रार्थी का नाम चतरा पुत्र शंकर के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र शंकरलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:51 IST
Reason: SelfAttested

तालुक[illegible]
छबड़ा जिला बारां (राज.)

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा

उपखण्ड अधिकारी, छबडा